2006:CGHC:6831

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रंमांक**: 799/2005**</u>

प्रकाश सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

निर्णय दिनांक**: 06** मार्च **2006** हेतु सूचीबध्द

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रंमांक **: 799/2005**</u>

एकलपीठ: माननीय दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

प्रकाश सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता की ओर से श्री अशोक कुमार शुक्ला, अधिवक्ता

राज्य की ओर से श्री यू.के.एस. चंदेल

<u>निर्णय</u>

(निर्णय दिनांक: 06 मार्च 2006)

यह अपील दिनांक **24** सितम्बर **2005** को पारित उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है,जो श्री कनक प्रसाद कुर्रे, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. अधिनियम, अंबिकापुर द्वारा,विशेष अपराध प्रकरण क्रमांक **5/2003** में पारित किया गया,जिसके द्वारा अपीलकर्ता को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा **21(**ख**)** के अंतर्गत दोषसिद्ध करार दिया गया,क्योंकि

अपीलकर्ता दिनांक **21** मार्च **2003** को **16** ग्राम **740** मिलीग्राम हेरोइनके अवैध कब्जे में पाया गया, अतएव उसे पाँच वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹**1,000/-** (एक हजार रुपये) का अर्थदंड से दंडित किया गया,एवं अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया।

2. संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार,जब यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति ब्राउन शुगर (हेरोइन) बेचने के उद्देश्य सेनामनाकला की ओर जा रहा है,तब सहायक उप निरीक्षक श्री एस.सी. शुक्ला (अ सा**1**),जिला अपराध शाखा, अंबिकापुर ने अपीलकर्ता को नामनाकला में पकड़ लिया,एवं एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा **50** के अधीन सूचना प्रदान कर,अपीलकर्ता की तलाशी ली गई। अपीलकर्ता की पूरी पैंट की दाहिनी जेब से भूरे रंग का ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ, तीन सफेद पैकेटों मे ं प्राप्त हुआ, तीन छोटे पॉलीथीन थैलियाँ तथा एक सफेद कागज़ी लिफाफा पाए गए। तीनों पॉलीथीन थैलियों तथा सफेद कागज़ी लिफाफे की सामग्री को प्र पी.**6** के अनुसार ज़ब्त किया गया। तत्पश्चात, प्रत्येक पैकेट की सामग्री को मिलाकर एकसमान मिश्रण तैयार किया गया।इस पदार्थ का वजन गवाह किशोरीलाल सर्राफ (अ.सा. **-9**) द्वारा किया गया,जिन्होंने वजन पंचनामा (प्र पी.**10**) में यह दर्शाया किअपीलकर्ता से ज़ब्त कुल पदार्थ का वजन **16** ग्राम **740** मिलीग्राम था।सभी वस्तुएँ सीलबंद कर दिनांक **21.03.2003** को प्रधान सिपाही रामदास (अ सा-**3**) के माध्यम सेमालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सौंप दी गईं, जिसकी प्राप्ति रसीद प्र.पी.**18** प्राप्त की गई।फिर दिनांक **23.03.2003** को पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के ज्ञापन (प्र पी.**20**) के अनुसार,चारों पैकेटों को सीलबंद का नमूना छाप सहित रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया।फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा दिनांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04.04.2003 को रिपोर्ट **(**प्र पी**.22)** में यह राय दी गई कि चारों पैकेटों में डायसिटाइल मॉर्फीन **(**हेरोइन**)** विद्यमान है।

3. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलकर्ता के विरुद्ध विधिसंगत अभियोजन प्रारंभ किया गया तथा उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अभियुक्त के रूप में नामित किया गया। अपीलकर्ता ने दोष स्वीकार करने से इनकार किया।अभियोजन पक्ष द्वारा कुल **9** गवाहों का परीक्षण कराया गया।अपीलकर्ता द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा **21(**ख**)** के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया तथा अनुच्छेद **1** में उल्लेख़ित दंड से दंडित किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. श्री अशोक कुमार शुक्ला, अपीलकर्ता के विव्दान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अपीलकर्ता का अपराध धारा **21(**ख**)** के अंतर्गत सिद्ध नहीं करते।उन्होंने यह तर्क दिया कि स्वतंत्र गवाहगण — राजेन्द्र प्रसाद **(**अ**.**सा**-7)** एवं झुनकू प्रसाद **(**अ**.**सा**-8)** —ने अभियोजन की कथा का समर्थन नहीं किया।इसके अतिरिक्त, कांस्टेबल लवकुश **(**अ**.**सा**-6)** जो कि ए**.**एस**.**आई**.** श्री एस**.**सी**.** शुक्ला के साथ घटनास्थल पर उपस्थित थे,उन्होंने यह नहीं कहा कि जब्त की गई वस्तुएँ सील की गई थीं।जब्ती पंचनामा **(**प्र पी**.6)** जो कि सायं **6:30** बजे **(1830** घंटे**)** तैयार किया गया,उस पर सील की नमूना छाप अंकित थी। तत्पश्चात, समरस पंचनामा **(**प्र पी**.7)** सायं **1835** बजे लिखा गया था, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि सील को तोड़ा गया होगा, अन्यथा पैकेटों की सामग्री को आपस में मिलाना संभव नहीं था।वजन पंचनामा **(**प्र पी**.10)** में उन प्लास्टिक की थैलियों या कागज़ी लिफाफे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिनमें ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ ज़ब्त किए जाने की बात कही गई थी। यह भी उल्लेख किया

गया कि गवाह किशोरीलाल सर्राफ (अ.सा-9) ने प्रारंभ में यह गवाही दी कि निरीक्षक केवल एक पैकेट लेकर उनके प्रतिष्ठान पर वजन के लिए आया था, किन्तु बाद में अपने कथन में सुधार कर यह कहा कि तीन पैकेट तौले गए थे। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि प्रत्येक पैकेट में कितनी मात्रा थी। अतः यह अत्यधिक संदेहास्पद हो गया कि क्या चारों पैकेट बिना सील के किशोरीलाल सर्राफ (अ.सा-9) के पास वजन हेतु लाए गए थे, क्योंकि किशोरीलाल सर्राफ (अ.सा-9) ने कहीं यह गवाही नहीं दी कि कोई भी पैकेट सीलबंद था। अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि थाना प्रभारी, थाना अंबिकापुर ने उन चारों सीलबंद पैकेटों पर अपनी सील अंकित की थी, जिन्हें ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला (अ सा-1) ने प्रधान सिपाही राजेन्द्र प्रसाद (अ सा-7) के माध्यम से सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया था। यह भी साक्ष्य में नहीं है कि श्री एस.सी. शुक्ला, ए.एस.आई. ने कोई सील की नमूना छाप तैयार की थी, जो कि सीलबंद पैकेटों के साथ फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई हो। कांस्टेबल डकेश्वर (अ सा-4), जो कि पैकेटों को फॉरेंसिक लैब लेकर गए थे, उन्होंने भी यह नहीं कहा कि उन पैकेटों पर थाना प्रभारी की सील थी। इन सभी आधारों पर, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 21(ख) के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने में असफल रहा। वहीं दूसरी ओर,राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री यू.के.एस. चंदेल, ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

4. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत, मैंने सम्पूर्ण अभिलेख का परीक्षण किया। सहायक उप निरीक्षक श्री एस.सी. शुक्ला (अ सा-1) ने साक्ष्य में गवाही दी कि उन्होंने सूचना देने के बाद अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत अपीलकर्ता को दिए गए आवेदन में, ए.एस.आई. श्री

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एस.सी. शुक्ला ने अपीलकर्ता की तलाशी ली। तलाशी में अपीलकर्ता की फूल पैंट की दाहिनी जेब से तीन छोटे सफेद पॉलीथीन थैले तथा एक सफेद कागज़ी लिफाफा प्राप्त हुआ, जिसमें भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ था, जो देखने में ब्राउन शुगर जैसा प्रतीत होता था।तत्पश्चात, उन्होंने जब्ती पत्रक (प्र पी.6) तैयार किया तथा उस पर सील की नमूना छाप अंकित की, अर्थात, तीन पॉलीथीन थैलों और एक कागज़ी लिफाफे की जब्ती के उपरांत, उन्हें ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला द्वारा सील किया गया।श्री शुक्ला ने आगे यह भी कहा कि उन्होंने समरस पंचनामा (प्र पी.7) सायं 1835 बजे तैयार किया। हालांकि, इस पंचनामा में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि तीनों पॉलीथीन थैलों तथा एक कागज़ी लिफाफे पर लगी सील को तोड़ा गया था, और फिर चारों पैकेटों की सामग्री को मिलाकर एकसमान मिश्रण तैयार किया गया। जब तक पैकेटों पर लगी सीलें (यदि कोई थीं) तोड़ी न जाएं, प्रत्येक पैकेट की सामग्री को एकसाथ मिलाकर समान मिश्रण बनाना असंभव है।यह भी नहीं कहा गया है कि मिश्रण तैयार करने के बाद उन पैकेटों को दोबारा सील किया गया।यह स्वयं में एक गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या ए.एस.आई. श्री शुक्ला द्वारा जब्ती पत्रक (प्र पी.6) के पश्चात वास्तव में उन चारों पैकेटों को सील किया गया था।

5. किशोरीलाल सर्राफ (अ सा-9), जिन्होंने पैकेटों की सामग्री का वजन किया, उन्होंने भी यह नहीं कहा कि उन्होंने सभी चारों पैकेटों की सामग्री का वजन किया था। पैरा 3 में उन्होंने कहा कि उपनिरीक्षक केवल एक पैकेट उनके प्रतिष्ठान पर वजन के लिए लाए थे। पैरा 4 में उन्होंने कहा कि तीन पैकेट तौले गए थे।उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रत्येक पैकेट का वजन कितना था। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वजन के उपरांत पैकेटों को सील किया गया था या नहीं। यह समझ से परे है कि यदि समरस पंचनामा जब्ती व सीलिंग के बाद तैयार किया गया, तो फिर चार अलग-अलग पैकेटों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामग्री पुनः कैसे भर दी गई? गवाह किशोरीलाल सर्राफ (अ सा-9) की गवाही से यह और अधिक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वाकई में जब्त किए गए पैकेटों को सील किया गया था। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में जब्त किए गए पैकेटों को ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला द्वारा सील किया गया था।

6. कांस्टेबल लवकुश (अ सा-6), जो कि ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला द्वारा की गई समस्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे, उन्होंने भी यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता की पैंट की जेब से चार पैकेट जब्त किए गए थे। उनके अनुसार, तलाशी में केवल एक पॉलीथीन पैकेट मिला था, जिसमें ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ था। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ए.एस.आई. श्री शुक्ला ने जब्त किए गए पैकेटों को सील किया था। यह तथ्य ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला की परिसाक्ष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. स्वतंत्र गवाह राजेन्द्र प्रसाद (अ सा-7) एवं झुनकू प्रसाद (अ सा-8) ने भी अभियोजन की कथा का समर्थन नहीं किया। राजेन्द्र प्रसाद (अ सा-7) के अनुसार, ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला उनके पास आए और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर उन्होंने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए,जिन्हें कथित रूप से श्री शुक्ला द्वारा मौके पर निष्पादित किया गया बताया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने अपीलकर्ता की पैंट की जेब से कोई ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ जब्त किया था। झुनकू प्रसाद (अ सा-8) ने भी यह गवाही दी कि जब वह नामनाकला से अपने घर लौट रहे थे, तब निरीक्षक ने उन्हें रोका और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा।जब उन्होंने इनकार किया, तो निरीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा, दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर

कर दो। उन्होंने यह भी इनकार किया कि वह पुलिस के साथ गए थे या उनके सामने ब्राउन शुगर की कोई जब्ती की गई थी। यह तथ्य अभियोजन की कहानी को और भी कमजोर करता है।

8. ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला **(**अ सा**-1)** ने पैरा **21** में यह कहा कि उन्होंने चारों सीलबंद पैकेट प्रधान सिपाही रामदास **(**अ सा**-3)** को सौंपे तथा रसीद प्र पी**.18** प्राप्त की। प्रधान सिपाही रामदास **(**अ सा**-3)** ने भी इस कथन की पुष्टि की। किन्तु, इन दोनों गवाहों ने यह गवाही नहीं दी कि पुलिस थाना अम्बिकापुर के थाना प्रभारी ने नमूना पैकेटों पर अपनी मुहर अंकित की थी, जिन्हें सुरक्षित अभिरक्षा हेतु पुलिस थाना अम्बिकापुर के मालखाने में सुपुर्द किया गया था।

9. अधिनियम की धारा 55 इस प्रकार है**:**-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **55. पुलिस द्वारा जब्त और परिदत्त वस्तुओं को अपने नियंत्रण में लेना-** किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सभी वस्तुओं को, जो उसे परिदत्त की जा सकें, मजिस्ट्रेट के आदेश तक अपने भारसाधक के रूप में रखेगा तथा सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा, तथा वह किसी अधिकारी को, जो ऐसी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक आएगा या जिसे इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने या उनमें से नमूने लेने की अनुमति देगा और इस प्रकार लिए गए सभी नमूनों पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुहर भी लगाई जाएगी।

धारा 55 का साधारण अवलोकन यह दर्शाता है कि मालखाने में अभिगृहीत वस्तुओं को रखने से पूर्व थाने का भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि न केवल यह सुनिश्चित करे कि

अभिगृहीत में सम्मिलित अधिकारी ने उन वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाई है, बल्कि यह भी कि थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं भी उन पैकेटों पर अपनी मुहर लगाए। यह प्रावधान अभिगृहीत वस्तुओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय है।अभियोजन का दायित्व है कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करे जिससे यह सिद्ध हो कि वस्तुओं के जब्त किए जाने के क्षण से लेकर उन्हें रासायनिक विश्लेषण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला (F.S.L.) भेजे जाने तक वे विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सुरक्षित व सीलबंद रखी गई थीं। परंतु वर्तमान मामले में, धारा 55 का पूर्णत: पालन नहीं किया गया। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए,एक गंभीर संदेह पैदा होता है कि क्या अपीलकर्ता से जब्त की गई कथित चार पैकेटो की सामाग्री को ए.एस.आई एस सी शुक्ला द्वारा सील किया गया था । छेड़छाड़ की जा सकती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं:

(क) स्वतंत्र साक्षीगण, राजेन्द्र प्रसाद (अ सा-7) एवं झुनकू प्रसाद (अ सा-8) ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया।

(ख) कांस्टेबल लवकुश ने यह गवाही नहीं दी कि अपीलकर्ता से जब्त किया गया कथित पदार्थ सीलबंद था। उन्होंने ए.एस.आई. श्री एस.सी. शुक्ला (अ सा-1) की गवाही का खंडन करते हुए यह कहा कि अपीलकर्ता की फूल पैंट से केवल एक पैकेट (जिसमें ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ था) जब्त किया गया।

(ग) किशोरीलाल सर्राफ **(**अ सा**-9)** ने भी यह गवाही नहीं दी कि जिन पैकेटों का उन्होंने वजन किया**,** वे सीलबंद थे। उन्होंने भी ए**.**एस**.**आई**.** श्री शुक्ला की गवाही का खंडन करते हुए एक स्थान पर कहा कि केवल एक पैकेट उनकी दुकान पर लाया गया था**,** जबकि दूसरे स्थान पर कहा कि तीन पैकेटों का वजन किया गया।उन्होंने प्रत्येक पैकेट का वजन भी नहीं बताया।

(घ**)** अधिनियम की धारा **55** के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है।

(ङ) समरस पंचनामा **(**प्र पी**.7)** के निष्पादन का समय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चारों पैकेटों की सील को खोलकर ही उनकी सामग्री का एकसमान मिश्रण तैयार किया गया होगा और उसकी 9 सील तोड़ी गई होगी । परंतु ए**.**एस**.**आई**.** श्री शुक्ला ने इस बारे में कोई गवाही नहीं दी। न ही यह साक्ष्य उपलब्ध है कि समरस पंचनामा तैयार करने के पश्चात उन वस्तुओं को पुनः सील किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में**,** अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा **21(**ख**)** के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं उसके आधार अधिरोपित सजा को अपास्त किया जाना चाहिए।

11. परिणामस्वरूप**,** यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की अधिनियम की धारा **21(**ख**)** के अंतर्गत दोषसिद्धि तथा उसके आधार पर अधिरोपित दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को दोषमुक्त करार दिया जाता है तथा यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं है**,**

तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। यदि अर्थदंड अदा कर दिया गया हो, तो वह अपीलकर्ता को वापस लौटाया जाए।

(हस्ताक्षरित)

श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Yash Khare, Advocate